

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 161/2019

आई.डी.एफ.सी फर्स्ट बैंक लि०, पंजीकृत कार्यालय-के.आर.एम टॉवर, सातवा तल, नम्बर 1, हेरीगटोन रोड, चेटपेट, चैन्नई, तमिलनाडु, शाखा कार्यालय-पॉचवा तल, मनउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, चौमू हाउस सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302001 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री पवन कौशिक।

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1). श्री रवि शर्मा
पता:- 216, पांवर हाउस की ढाणी, ग्राम गनोहडा, जिला अजमेर, राज०-305001
दुसरा पता:-ग्राम गनाहेडा, पांवर हाउस की ढाणी, पुष्कर, जिला अजमेर, राज०-305001
- (2). श्री सुरज दाधीच
पता:- 228, ग्राम गनाहेडा, जिला अजमेर, राज०-305001
दुसरा पता:- ग्राम गनाहेडा, पांवर हाउस की ढाणी, पुष्कर, जिला अजमेर, राज०-305001
.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसट्क्शन
आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री विनोद खाण्डल

- अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 15.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 02 को दिनांक 22.06.2016 को कमशः रु. 11,00,000/- (अक्षरे ग्यारह लाख रुपये मात्र) व रु. 5,00,000/- (अक्षरे पांच लाख रुपये मात्र) कुल रु. 16,00,000/- (अक्षरे सोलह लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम गनाहेडा पांवर हाउस की ढाणी, पुष्कर, अजमेर स्थित आवासीय भूमि क्षेत्रफल 293.7 वर्गगज, जो श्री रवि शर्मा पुत्र श्री परमानन्द के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 08.02.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 04.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये- 9,71,914.84/- (अक्षरे नौ लाख इकहतर हजार नौ सौ चोदह एवं चौरासी पैसे) (ऋण खाता संख्या 6461226 के अन्तर्गत) व 4,46,522.26/- (अक्षरे चार लाख छियालीस हजार पांच सौ बाईस एवं छब्बीस पैसे) (ऋण खाता संख्या 6461495 के अन्तर्गत) कुल 14,18,437.01/- (अक्षरे चोदह लाख अठारह हजार चार सौ सैंतीस एवं एक पैसे) का जारी किया तथा उक्त नोटिस दो मुख्य अखबारों कमशः हिन्दी में दैनिक कामयाब कलम व अग्रेंजी में बिजनेस स्टैण्डर्ड में भी दिनांक 21.05.2019 प्रकाशित करवाया गया। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने



Sharma
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति ग्राम गनाहेडा पांवर हाउस की ढाणी, पुष्कर, अजमेर स्थित आवासीय भूमि क्षेत्रफल 293.7 वर्गगज, जो श्री रवि शर्मा पुत्र श्री परमानन्द के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 15.10.2019 को सुनाया गया।

Shelona

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

